# हरियाणा सरकार का राजपत्र

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित

हरियाणा सरकार

क्रमांक 24-20241 चंडीगढ़, मंगलवार, जून 11, 2024 (ज्येष्ठ 21, 1946 शक)

भाग ---- पहला


## हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचनाएं, आदेश एवं घोषणाएं

हरियाणा सरकार

खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

3 जून 2024

संख्या FG-2-83-2024/8333। जबकि, सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। पारदर्शिता और दक्षता लाता है। और लाभार्थियों को अपनी पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता से छुटकारा दिलाकर सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सीधे अपने अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाता है:

और जबकि, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा, अंत्योदय आहार योजना का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसका क्रियान्वयन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा के माध्यम से किया जा रहा है।

और जबकि, इस योजना के अंतर्गत, एएवाई और बीपीएल लाभार्थियों को एक किलोग्राम चीनी दी जाती है, कार्यान्वयन एजेंसी मौजूदा योजना दिशानिर्देशों

के अनुसार है, और जबकि, उपरोक्त योजना में हरियाणा के समेकित कोष से आवर्ती व्यय शामिल है।

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं पर लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 118) की धारा 7 के अनुसरण में, हरियाणा सरकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:

1. (1) योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा अथवा आधार प्रमाणीकरण कराना होगा।

(2) योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, को योजना के लिए पंजीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते कि वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो। ऐसे व्यक्ति को आधार के लिए नामांकन कराने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) पर जाना होगा।

(3) आधार (नामांकन एवं नवीनीकरण) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उन लाभार्थियों को आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करनी होंगी, जो आधार के लिए नामांकित नहीं हैं और यदि संबंधित ब्लॉक, तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के समन्वय में या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

बशर्ते कि जब तक व्यक्ति को आधार नहीं सौंप दिया जाता है, तब तक योजना के तहत लाभ ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन मिलेगा, अर्थात:-

यदि उसने नामांकन कराया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची: और

(ii) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:-

(1) राशन कार्ड; या

(आईआई) परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)/ फैमिली आईडी

(iii) विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

बशर्ते कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नामित अधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

2. योजना के तहत लाभार्थियों को सुविधाजनक ढंग से लाभ प्रदान करने के लिए, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थियों को उक्त आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए।

3. ऐसे सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात:-

(क) फिंगरप्रिंट की खराब गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा को अपनाया जाएगा, जिसके तहत विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से लाभ को निर्बाध तरीके से प्रदान करने के लिए फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के साथ-साथ आईरिस स्कैनर या चेहरा प्रमाणीकरण की सुविधा का प्रावधान करेगा:

(ख) यदि फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल होता है, तो जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, आधार वन टाइम पासवर्ड या सीमित समय वैधता के साथ समय-आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा प्रमाणीकरण, जैसा भी मामला हो, पेश किया जाएगा:

(सी) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, योजना के तहत लाभ भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिया जा सकता है जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान की जाएगी।

4. उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के अंतर्गत कोई भी वास्तविक लाभार्थी अपने देय लाभों से वंचित न रहे, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से डीबीटी मिशन के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित अपवाद हैंडलिंग तंत्र का पालन करेगा। कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार दिनांक 19 दिसंबर, 2017।

5 यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

चंडीगढ़:
28 मई 2024

डॉ। सुमिता मिश्रा,
हरियाणा सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव।

11121-सीएस-एचजी.पी. पीकेआई